कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक–2825/12–1, दिनांकः मसूरी, 1-1-2019।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–65.0466है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुर्नवास),खण्ड़, ऋषिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। प्रस्ताव सं0 FP/UK/WATER/40701/2019,**

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड़, ऋषिकेश (देहरादून) की पत्र सं0 1072/अ0(पु0)ख0ऋ0/व0भू0ह0प्र0/सौंग बांध दिनांक 06–08–2019, पत्र 1543/अधि0 अभि0/ सौंग बांध परियोजा /2019 दिनांक 18–11–2019 एंव पत्र 1701/अधि0 अभि0/ सौ0 बां0 पे0परि0/व0भू0ह0प्र0/2019 दिनांक 23–12–2019

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड़, ऋषिकेश (देहरादून) द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्रों (प्रतियां संलग्न) से जनपद–देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना जो जनपद–देहरादून एंव जनपद–टिहरी गढ़वाल के दो वन प्रभागों (देहरादून वन प्रभाग एंव मसूरी वन प्रभाग में के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–65.0467है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड़, ऋषिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव आनलाईन इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी हार्ड प्रति एंव आनलाईन प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जॉच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित विषयांकित प्रस्ताव की एक (01) हार्ड प्रति प्रेषित है। विषयांकित कार्य के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण एंव प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा 12–11–2018 को किया गया है। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य में विभिन्न प्रजाति एंव व्यासवर्ग के (आरक्षित वन–5183 वृक्ष, सिविल सोयम भूमि– 28 वृक्ष, सिविल सोयम (जलमग्न भूमि)–596 वृक्ष, वन पंचायत भूमि–53 वृक्ष एंव निजी/नाप भूमि–218 वृक्ष) कुल 6078 वृक्ष प्रभावित/वाधित होने सूचित हैं। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा वर्णित स्थल /वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23–12–2019 को किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उक्तानुसार (प्रस्ताव की एक (01) प्रति)।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2825/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि –
1. अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड़, ऋषिकेश (देहरादून) को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सक्षम स्तर से बिना विधिवत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रश्नगत् वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य न होने दें।
3. वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर एंव मसूरी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सक्षम स्तर से बिना विधिवत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रश्नगत् वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य न होने दें।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–65.0467है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुर्नवास),खण्ड, ऋषिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	127.6712 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–65.0467है0)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	31.9189 है0 आरक्षित वन भूमि कुण्ड कक्ष सं0–7 5.1050 है0 आरक्षित वन भूमि कुण्ड कक्ष सं0–5सी 1.5020 है0 आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ कक्ष सं0–1 3.1700 है0 आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं0–2 एंव 3 1.5480 है0 आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं0–6 2.1140 है0 आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं0–7 1.7620 है0 आरक्षित वन भूमि बांदल कक्ष सं0–1 **47.1199** है0 1.1880 है0 द्वारा खाता न0 329 खसरा न0 2164 (राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट) 1.4840 है0 द्वारा खाता न0 329 खसरा न0 2165 (राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट) 0.6600 है0 द्वारा खाता न0 330 खसरा न0 2092 (राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट) 0.5800 है0 द्वारा खाता न0 330 खसरा न0 701 (राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट) **3.9120** है0 0.6600 है0 ग्राम सौन्दणा सिविल सोयम भूमि 4.5472 है0 ग्राम रगड़गांव सिविल सोयम भूमि 0.2460 है0 ग्राम भरवाकाटल सिविल सोयम भूमि 0.3460 है0 ग्राम श्रीपुर सिविल सोयम भूमि 0.0560 है0 ग्राम थेवा सिविल सोयम भूमि 0.4200 है0 ग्राम रेनीवाला सिविल सोयम भूमि 0.4400 है0 ग्राम कुल्हान मानसिहं सिविल सोयम भूमि 0.1610 है0 ग्राम मरोठा सिविल सोयम भूमि 0.7938 है0 ग्राम सौंदणा (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि 0.6442 है0 ग्राम रगड़गांव (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि 0.2580 है0 ग्राम भरवाकाटल(जलमग्न)सिविल सोयम भूमि 0.0870 है0 ग्राम श्रीपुर (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि 1.4800 है0 ग्राम खेरीमानसिहं(जलमग्न)सिविल सो0 भूमि 0.8000 है0 ग्राम पुस्ताड़ी (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि 0.1800 है0 ग्राम कुल्हान मानसिह(जलमग्न)सि0 सो0 भूमि 2.8130 है0 ग्राम सौंदणा (वन पंचायत)सिविल सोयम भूमि 0.0826 है0 ग्राम धुड़साल गांव(रौली/नाला)सि0सो0भूमि 14.0148 है0 **65.0467 है0**
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.5

(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में विभिन्न प्रजाति एंव व्यासवर्गवार के (आरक्षित वन भूमि–5183 वृक्ष, सिविल सोयम भूमि– 28 वृक्ष, सिविल सोयम (जलमग्न भूमि)–596 वृक्ष, वन पंचायत भूमि–53 वृक्ष एंव निजी/नाप भूमि–218 वृक्ष) कुल 6078 वृक्ष प्रभावित /वाधक होने निहित है। प्रभावित /वाधक होने वाले वृक्षों की प्रजातिवार एंव व्यासवर्गवार गणना एंव मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक 95 से 173, प्रपत्र–20 के संलग्नक 196 से 223, प्रपत्र–20.1 के संलग्नक 225 प्रपत्र–20.1 के संलग्नक 225 एंव प्रपत्र–21 के संलग्नक 236 से 249, पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा वरिष्ट भू–वैज्ञानिक(से0नि) लो0नि0वि0, देहरादून की दि0 21–01–2016 की आख्या प्रस्ताव के प्रपत्र–33 कें संलग्नक–278 से 289 पर चस्पा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित /चयनित स्थल रायपुर रेंज के आरक्षित वन कुण्ड कक्ष सं0–7, 5सी0ए रिंगालगढ कक्ष सं0–1, द्वारा कक्ष सं0–2, 3, 6 एंव 7, मसूरी रेंज के आरक्षित वन बांदल कक्ष स0 1 तथा (राजस्व विभाग के अभिलेख खसरा /उद्धरण खतौनी के अनुसार) ग्राम द्वारा के खाता न0 329 खसरा न0 2164, 2164, खाता न0 330 खसरा न0 2092ख, 701 एंव ग्राम सौन्दणा, रगड़गांव, भरवाकाटल, श्रीपुर, थेवा, रैनीवाला, खैरीमानसिहं, पुस्ताड़ी, कुल्हान मानसिहं एंव मरोठा की सिविल सोयम /जलमग्न भूमि की सीमा अर्न्तगत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र–25 कें संलग्नक–255 पर चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	———नहीं———
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–37 कें संलग्नक–295 पर चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एंव वन विभाग द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र–14 कें संलग्नक–36 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 127.6712 है0 के बदले दुगने 255.3424 अर्थात 256.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कमशः ग्राम भुटगांव रकबा–18.50है0 एंव 8.76है0, ग्राम खासकोटी रकबा–27.30है0, ग्राम मोगी रकबा–24.30है0, ग्राम टिंगरी चक रकबा–29.00है0 एंव ग्राम जयद्धार तल्ला रकबा–20.54है0 की सिविल सोयम भूमि का चयन /आंबटन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एंव गूगल मानचित्र (पौलीगन) आदि प्रस्ताव के प्रपत्र–42 कें संलग्नक–300 से 301 एंव एंव प्रपत्र–44 कें संलग्नक–334 से 338 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 127.6712 है0 के बदले दुगने 255.3424 अर्थात 256.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों (सिविल सोयम भूमि) का चयन भद्रीगाड़ रेंज के अन्तर्गत किया गया है। प्रस्तावित स्थल से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूखण्ड़ों की धरातलीय दूरी लगभग 80.00किमी0, चयनित भूखण्ड़ों की संख्या–8 तथा प्रत्येक भूखण्ड़ का आकार पर्वतीय व ढ़ालदार है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियांः–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सीः–** स्वयं वन विभाग। **समयः–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागतः–** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 7,84,71,936.00 (रू0 सात करोड़ चौरासी लाख इकहतर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 7,84,71,936.00 (रू0 सात करोड़ चौरासी लाख इकहतर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
A(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व विभाग एंव वन विभाग द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र एंव खसरा खतौनी की प्रति प्रस्ताव के प्रपत्र–43 कें संलग्नक–302 एंव प्रपत्र–43(a) के संलग्नक–303 से 333 पर चस्पा है।
11.	उप वन सरंक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ;गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र–6(1) संलग्नक–21 पर चस्पा है। पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु चयनित स्थल की वन भूमि /क्षेत्र का निरीक्षण दि0 16–05–2019 जो प्रस्ताव के संलग्नक 22 पर चस्पा है एंव पुनः दिनांक 23–12–2019 को किया गया है,
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– देहरादून /जिला–टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि0मी0 / 4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि0मी0 /4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	जनपद–देहरादून के अन्तर्गत कुल मामलों की संख्या 118 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 266.7834 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 192.9928 है0 है तथा जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कुल मामलों की संख्या 98 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 986.0073 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 521.6025 है0 है।

(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर:–	(क) 421.578 हैक्टेयर + 236.9612=658.5392 है0 (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:– (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 317.63 है0 + 213.75=531.38 है0 जिला /प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित परियोजना का निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग को अपने स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः 1-7-2020 ।
स्थानः– मसूरी,

नामः–(कहकशां नसीम)
सरकारी मुहर
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड़, ऋषिकेश **for "Construction of** सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु **under FCA-1980 of 127.6712 ha. (Mussoorie forest Division-**65.0467 ha) **of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of** सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु कुल **127.6712 ha. (Mussoorie forest Division-**65.0467ha) **". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 23-12-2019.**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevate Forest + Civil Forest (RF 47.1199 ha. + RF 3.912 ha.(As per Revenu record / Khatoni) PF 0.00 ha.+ Civil land /Jal Magan 11.2018 ha.+ Van Panchyat 2.8130) = 65.0467 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endagered/unique species of flora and fauna is found in the area.

No protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

a) **The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.**

b) **AS such, recommendation is being provided.**

Prposal is Recommended.

(Signature)

Name (Kahkashsa Naseem)

Designation..... प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Office Seal

Place - Mussoorie

Date – 23 . 12 .2019

N.B x **State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.**

xx **Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.**

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.